128

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / /2016 निगरानी R-2789-I-16

जगदीश तिवारी पुत्र श्री राजाराम तिवारी आयु– 56 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर तहसील सिमरिया जिला पन्ना पन्ना म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

कुलदीप तिवारी पुत्र श्री सन्तोष तिवारी, आयु– 27 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर तहसील सिमरिया जिला पन्ना पन्ना म0 प्र0

......रेस्पोंडेट

श्री राजेन्द्र जैन अधि० द्वारा आज दि. 17.8.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17/8/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(Rajendra jain) Adv.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 01/11/2015 प्र0 क्र0 56/अ–12/2015–15 न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सिमरिया तहसील सिमरिया जिला पन्ना बऊन्मान कुलदीप विरूद्ध जगदीश

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1 यहकि, प्रार्थी निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व की भूमि ग्राम हीरापुर राजस्व निरीक्षक मण्डल सिमरिया तहसील सिमरिया जिला पन्ना मे आराजी क्र0 1867 रकवा 0.88 हैक्टयर भूमि है।

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 2789–एक/2016 निगरानी जिला पन्ना

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों आ के हस्ताक्षर
7-8-16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सिमरिया तहसील सिमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 56 अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 1–11–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राहयता पर सुना गया तथा उनके व्दारा प्रस्तुल अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा अनावेदक के आवेदन पर उसके स्वामित्व की ग्राम हीरापुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1867 रकबा 0.35 हैक्टर का सीमांकन कराया है एंव इसी भूमि का पूर्व में भी सीमांकन हुआ है । सीमांकन के दौरान अनावेदक की भूमि पर पूर्व पश्चिम की ओर 5 जरीव उत्तर दक्षिण भाग के खेत पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जिसके कारण आवेदक यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है जब दो वार के सीमांकन की स्थिति वही है एंव पूर्व का सीमांकन निगरानी के अभाव में अंतिम है जिसके कारण विचाराधीन सीमांकन में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं होना	

पाया गया है । जहाँ तक आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है आवेदक निजी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से अथवा अन्य राजस्व अधिकारियों से कराने हेतु स्वतंत्र है। अतएव निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार सिमरिया को भेजी जावे।

सदस्य